कार्यालय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा
जिला–कोरबा (छ.ग.)
संविदा वाहन हेतु चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना

जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा तहसील कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) हेतु चार पहिया चलित वाहन किराये पर लेने हेतु सील बंद निविदा दिनॉक 12.10.2018 समय प्रातः 10:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विद्यालय के कार्यालय से दिनॉक 11.10.2018 तक कार्यालयीन दिवसों में 100/–रूपये का भुगतान कर प्रातः 9:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। व विद्यालय वेबसाइट www.jnvkorba.nic.in से डाउन लोड कर सकते है। विद्यालय वेबसाइट से डाउन लोड किये जाने पर धरोहर राशि के साथ 100/– अतिरिक्त का डिमांड ड्राप्त जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित फर्म को उनके लेटर पेड पर आवेदन प्रदाय करना अनिवार्य है। विद्यालय में Mahindra Bolero Plus AC 8+1=9 वाहन चालक सहित नौ व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वाहन में लगभग 10 क्विंटल वजन ले जाने की क्षमता होना चाहिए। निविदा जमा करते समय निविदा के साथ 10000/– दस हजार रू मात्र धरोहर राशि का डिमांड ड्राप्ट/मल्टी सिटी चेक, वाहन चालक का जीवित लाइसेंस, वाहन के बीमा का जीवित प्रमाण पत्र, टैक्सी परमिट प्रदूषण प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड की प्रति, इत्यादि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करें। SOLD वाहन की स्थिति में वाहन से संबंधित दस्तावेज विद्यालय में 15 से 20 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रदाय वाहन के सभी दस्तावेज वाहन चालक के पास व वाहन में होना चाहिए यदि आर.टी.ओ. या संबंधित अधिकारी द्वारा कोई जॉच की जाती है एवं दस्तावेज की कमी या किसी अन्य कारण से आर.टी.ओ. द्वारा कोई जुर्माना/चालान किया जाता है तो उससे संबंधित भुगतान व विवाद की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। निविदाएं दिनॉक 12.10.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कय सलाहकार समिति के सम्मुख खोली जावेगी। कय सलाहकार समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि समिति एक निविदा को अथवा संपूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।

निविदा के लिए एक लिफाफे में वांछित दस्तावेज व डिमांड ड्राप्ट एवं जमा की जाने वाली निविदा मूल्य दुसरे लिफाफे में जमा करें, इस तरह कुल दो लिफाफे में निविदा जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र के साथ एक चेक लिस्ट भी प्रदाय किया जायेगा जिसमें की सही(✓) का निशान लगाते हुए, उसी क्रम में आवश्यक दस्तावेजो को संलग्न करना होगा। साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफे मे चिपकाने के लिए एक प्रिंटेड पेपर दिया जायेगा जिसे निविदा जमा करते समय विभिन्न लिफाफों पर आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण कर चिपकना अनिवार्य है। कय सलाहकार समिति के द्वारा पहले दस्तावेज लिफाफों को खोला जाएगा। व सम्पूर्ण दस्तावेज होने पर ही निविदा मूल्य वाली लिफाफों को खोला जाएगा। यदि दिये गये दस्तावेजों में से किसी एक भी दस्तावेज के अभाव में निविदा रद्द समझी जायेगी। कय सलाहकार समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे एक निविदा को आंशिक अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है। लिफाफे में उक्त प्रिंटेड पेपर नहीं चिपाकाने की स्थिति में लिफाफा निविदा में शामिल नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
सलोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

Scanned by CamScanner